

एन० आर० टी०एम०टी० (इंडिया) प्रा० लिमिटेड

द्वारा

प्लॉट क्र० = 211, 212 (पार्ट) एवं 213 (पार्ट),

सैक्टर = एल

ओ०पी० जिंदल औद्योगिक पार्क,

ग्राम = पुँजिपथरा

तहसील = तमनार

जिला = रायगढ़ (छ.ग.)

में

çLrkfor LVhy | ↗ ≈ ds foLrkj

1/fo| eku 3 x 7 Vu इण्डक्शन फन॥ dk 3 x 12 Vu इण्डक्शन फर्नेस ei
vk/kfudhdj.k] ubl 2 x 12 Vu इण्डक्शन फर्नेस dh LFkki uk] fo| eku j kf yx
fey 1/kerk 3/ 55000 Vu@ o"kl | s 1]57]500 Vu@ o"kl e 1/ mlu; u

हेतु

पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट

का

कार्यपालक सार

& % cf"kr %%&

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

i ; kōkl Hkou] | DVj & 19] uok jk; i j & vVy uxj] ftyk% jk; i j 1/NñXñ%

एन. आर. टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 कि क्विल , 01 213 कि क्विल | DVj ¾ , Y
वक्ता ही ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

1-0 i fj ; kst uk fooj . k%

वर्तमान में, उन वक्ता वही, eñVही क्विल; क्षेत्र छक्की fyfeVM द्वारा प्लॉट क्र. 211, 212 (पार्ट) एवं 213 (पार्ट), सैकटस – एल, ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क, ग्राम-पुँजिपथरा, तहसील– तमनार (पूर्व नाम – घरधोड़ा), जिला: रायगढ़ (छ.ग.) में 56,700 टन/वर्ष हॉट मैटल उत्पादन हेतु 3 x 7 टन इण्डक्शन फर्नेस तथा 55,000 टन/वर्ष रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु रोलिंग मिल (हॉट चार्जिंग द्वारा) की स्थापना हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात आँकलन प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), रायपुर द्वारा पत्र क्र. 390/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग./ रोलिंग/ रायगढ़/ 576, दिनांक: 03/08/2017 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में कंपनी द्वारा विद्यमान संयंत्र का निम्न क्षमता आधुनिकीकरण तथा उन्नयन प्रस्तावित है।

- ✓ विद्यमान 3 x 7 टन इण्डक्शन फर्नेस का 3 x 12 मिट्रिक टन में उन्नयन तथा,
- ✓ नवीन 2x12 मिट्रिक टन इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना,
- ✓ विद्यमान हॉट चार्ज रोलिंग मिल में आधुनिकीकरण – 55,000 टन/वर्ष से 1,57,500 टन/वर्ष की स्थापना।

प्रस्तावित उन्नयन तथा क्षमता विस्तार विद्यमान परिसर 10.5 एकड़ में ही किया जाना है, उक्त भूमि मे. जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड से लीज़ पर ली गई है। प्रस्तावित परियोजना विस्तार हेतु परिकल्पित कुल लागत ₹ 24.00 करोड़ हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक: 14 सितंबर 2006 एवं आगामी संशोधन के अनुसार सभी द्वितीयक धातुकर्म इकाईयों को क्रमांक 3(a) के अंतर्गत वर्ग 'B' में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात

एन. आर. टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 कि KV॥, ०१ 213 कि KV॥ | DVj ¾ , Y
vkn̄ h̄ ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय समाधात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

ऑकलन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वर्गीकृत किया गया। प्रस्तावित विस्तार परियोजना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात ऑकलन प्राधिकरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर (MoEF&CC) द्वारा 'टर्मस् ऑफ रिफरेंसेस्' (टी.ओ.आर.) पत्र क्र. 362/ एस.ई.ए.सी., छ.ग. / रो एण्ड इंड/ रायपुर/ 764, दिनांक: 10/05/2019 का अनुमोदन किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा अनुमोदित 'टर्मस् ऑफ रिफरेंसेस्' (टी.ओ.आर.) के आधार पर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया गया है।

प्रस्तावित संयंत्र के लिए धातुकर्म उद्योग द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु नाबेट, क्वालिटि काउन्सिल ऑफ इण्डिया के पत्र क्र. नाबेट/ ई.आई.ए./ 1922/ आर.ए./ 149 द्वारा अधिकृत मे. पायोनियर इन्वायरो लैबोरेटरिस् एवं कन्सल्टेंट्स प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद, द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित टी.ओ.आर. के द्वारा अनुमोदित 'टर्मस् ऑफ रिफरेंसेस्' (टी.ओ.आर.) को समाविष्ट करते हुए प्रारूप पर्यावरणीय समाधात निर्धारण (ई.आई.ए.) रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

- , ०१ प्रस्तावित संयंत्र स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र के पर्यावरणीय कारक जैसे जल, वायु, भूमि, ध्वनि, वनस्पति, जीव, एवं सामाजिक स्तर आदि विशिष्ट गुणों का वर्तमान परिदृश्य।
- ०२ प्रस्तावित परियोजना से होने वाले वायु उत्सर्जन, दूषित जल उत्सर्जन, ठोस अपशिष्ट एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर का आकलन।
- ०३ प्रस्तावित परियोजना से होने वाले उत्सर्जन की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा हरित पट्टिका विकास को समसहित करते हुये पर्यावरण प्रबंधन के उपाय (ई.एम.पी.)।

एन. आर. टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 vi KV[, o 213 vi KV[| DVj ¾ , y
vksn h ft ny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

Mhñ परियोजना उपरांत पर्यावरणीय अनुविक्षण कार्यक्रम एवं पर्यावरण संरक्षण के उपयोग के लिए बजट का प्रावधान।

9.9 संयंत्र क्षेत्र के १० कि.मी. त्रिज्या के अंतर्गत की पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी :-

संयंत्र क्षेत्र के १० कि.मी. त्रिज्या के अंतर्गत की पर्यावरणीय परिस्थिति निम्नलिखित है:-

ठीं	मुख्य विशेषताएँ / पर्यावरणीय विशेषताएँ		{ks= ds c/k e nij h@fj ekdl}
1-	भूमि का प्रकार (स्थल के परिपेक्ष में)	¾	विद्यमान संयंत्र औद्योगिक पार्क में स्थित है जिसका विकास ओ.पी. जिंदल ग्रूप द्वारा किया गया है एवं विस्तार परियोजना भी विद्यमान परिसर में ही किया जाना प्रस्तावित है।
2-	भूमि का प्रकार (अध्ययन क्षेत्र)	¾	लैण्ड यूज एण्ड लैण्ड कवर (एल.यू.एल.सी.) के अनुसार 10 कि.मी. के अन्तर्गत आने वाली भूमि उपयोग निम्नलिखित है: रिहायशी क्षेत्र— 2.9 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र— 7.6 प्रतिशत, जल निकाय— 6.8 प्रतिशत, झाड़ीयुक्त वन एवं सघन वन— 34.4 प्रतिशत, एक फसली भूमि— 17.4 प्रतिशत, दो फसली भूमि— 5.2 प्रतिशत, वृक्षारोपण— 1.1 प्रतिशत, झाड़ीमुक्त भूमि— 5.2 प्रतिशत, गलित भूमि— 1.8 प्रतिशत।
3-	राष्ट्रीय उद्यान/ प्राणी तथा पक्षी अभ्यारण्य/ जीवमण्डल रिज़र्व/ बाघ हेतु आरक्षित क्षेत्र (टायगर रिज़र्व)/ हाथी गलियारा (एलिफेंट कॉरिडोर)/ प्रावासी पक्षियों का मार्ग	¾	कोई राष्ट्रीय उद्यान/ प्राणी तथा पक्षी अभ्यारण्य/ जीवमण्डल रिज़र्व/ बाघ हेतु आरक्षित क्षेत्र (टायगर रिज़र्व)/ प्रावासी पक्षियों का मार्ग स्थित नहीं है। हाँलाकि 10 किमी के त्रिज्या क्षेत्र में द्वितीयक स्त्रोत (सेकेन्ड्री सोर्स) से प्राप्त

एन. आर. टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 कि.वि.ल , 01 213 कि.वि.ल | DVJ 3/4 , Y
vkn̄ h̄ ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

ठं	मुख्य विशेषताएँ / पर्यावरणीय विशेषताएँ		{के ds कैक es nij h@fj ekdl}
			जानकारीयों के अनुसार हाथियों का आवागमन मार्ग है। इस संदर्भ में संरक्षण योजना बनाई गई है।
4-	ऐतिहासिक स्थल/ पर्यटन स्थल / पुरातात्त्विक स्थल	3/4	बंजारी मंदिर संयंत्र क्षेत्र से 3.8 किमी की दूरी पर स्थित हैं।
5-	पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के मेमोरेन्डम दिनांक: 13/01/2010 के अनुसार गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र	3/4	निरंक।
6-	रक्षा संस्थान	3/4	निरंक
7-	निकटस्थ गाँव	3/4	निकटस्थ ग्राम: तुमिडीह (0.30 कि.मी.)
8-	अध्ययन क्षेत्र में स्थित गाँवों की संख्या	3/4	46
9-	निकटस्थ अस्पताल	3/4	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र – औद्योगिक क्षेत्र निकट स्थित है।
10-	आरक्षित / संरक्षित वन	3/4	तराईमल आरक्षित वन (0.3 कि.मी.), समारूमा आरक्षित वन (3.5 कि.मी.), सुहाई आरक्षित वन (5.8 कि.मी.), राबो आरक्षित वन (6.4 कि.मी.), उरदाना आरक्षित वन (6.0 कि.मी.), पुँजीपथरा संरक्षित वन (0.7 कि.मी.), पझर आरक्षित वन (4.5 कि.मी.), आमघाट आरक्षित वन (5.3 कि.मी.) एवं खड़ीडुँगरी संरक्षित वन (9.0 कि.मी.), संयंत्र क्षेत्र से 10 किमी त्रिज्या के अंतर्गत विद्यमान हैं।
11-	जल के स्रोत	3/4	केलो नदी (6.5 किमी), कुरकेट नदी (7.0 किमी), राबो बाँध बैक वाटर (7.0 किमी) एवं मौसमी नाले, तालाब संयंत्र क्षेत्र के 10 कि.मी. की त्रिज्या में स्थित हैं।
12-	अध्ययन क्षेत्र में फसलें	3/4	प्रमुख फसलें— धान, अरहर, मूँग, मूँगफली। गौण फसलें— गेहूँ, मक्का, चना, मसूर, उड्ढ आदि। बागवानी फसलें— नींबू, पपीता, केला, लीची, आलू, आम, टमाटर, प्याज़, पत्ता

एन० आर० टी०एम०टी० (इंडिया) प्रा० लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 कि क्विल , 01 213 कि क्विल | DVJ ¾ , Y
vkñi hñ ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

ठीं	मुख्य विशेषताएँ / पर्यावरणीय विशेषताएँ		{क्से ds क्से क्से nij h@fj ekdl}
			गोभी, मिर्ची, अदरक आदि।
13-	निकटस्थ रेल्वे स्टेशन	¾	निरंक (भूपदेवपुर रेल्वे स्टेशन – 11 किमी)
14-	निकटस्थ राजमार्ग	¾	रायगढ़ – अंबिकापुर राजमार्ग – 1.65 कि. मी.
15-	निकटस्थ बंदरगाह सुविधा	¾	निरंक
16-	निकटस्थ हवाई अड्डा	¾	निरंक, (जिंदल हवाई पट्टी – 13.7 किमी)
17-	निकटस्थ इंटरस्टेट सीमा	¾	निरंक
18-	आईएस – 1893 के अनुसार भू-कंपीय क्षेत्र	¾	भू-कंपीय क्षेत्र – ॥
19-	पुर्नस्थापन तथा पुर्नविस्थापन (आर० एवं आर०)	¾	पुर्नस्थापन तथा पुर्नविस्थापन नहीं होगा, क्योंकि प्रस्तावित परियोजना का विस्तार विद्यमान परिसर 10.5 एकड़ में ही किया जावेगा।

vkñi kfxd i kd] es fLFkr m | kxksa dh | ph

ठीं	m kxksa ds uke	i dkj
1.	मेसर्स आलोक इस्पात	स्टील संयंत्र
2.	मेसर्स गंगा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
3.	मेसर्स जी.पी. ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
4.	मेसर्स नर्मदा आयरन एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
5.	मेसर्स एपिक एलॉयज एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
6.	मेसर्स यूरेका आयरन एण्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
7.	मेसर्स हर्ष विनिमय प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
8.	मेसर्स जगदंबा स्पंज प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
9.	मेसर्स माँ बंजारी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
10.	मेसर्स ममता इलेक्ट्रो कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
11.	मेसर्स श्री निर्मलानन्द स्टील कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
12.	मेसर्स आर०एस० इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
13.	मेसर्स राधे गोविंद स्टील एण्ड एलॉयज	स्टील संयंत्र
14.	मेसर्स रायगढ़ आयरन एण्ड इण्डस्ट्रीज़	स्टील संयंत्र
15.	मेसर्स रजत इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
16.	मेसर्स सतगुरु इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र

एन० आर० टी०एम०टी० (इंडिया) प्रा० लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 कि KV॥, 01 213 कि KV॥ | DVj ¾ , Y
vksn hñ ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

ठी	m kxk॥ ds uke	i dkj
17.	मेसर्स सॉई राम स्टील प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
18.	मेसर्स शोवा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
19.	मेसर्स श्री बाँकेबिहारी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
20.	मेसर्स श्रीराम हाई-टेक स्टील एण्ड पावर (प्रा०) लिमिटेड	स्टील संयंत्र
21.	मेसर्स श्री बालाजी इस्पात	स्टील संयंत्र
22.	मेसर्स श्री कंसल्टेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
23.	मेसर्स सूर्योदय स्टील प्लांट प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
24.	मेसर्स जियोन स्टील प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
25.	मेसर्स सिद्धी विनायक ऑक्सिजन प्राइवेट लिमिटेड	ऑक्सिजन संयंत्र
26.	मेसर्स ओरियन फैरो एलॉयज़	फैरो एलॉयज़
27.	मेसर्स वंदना एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	फैरो एलॉयज़
28.	मेसर्स वी.ए. पावर प्राइवेट लिमिटेड	फैरो एलॉयज़
29.	मेसर्स ए.आर० इस्पात	स्टील संयंत्र
30.	मेसर्स तिरुमला बालाजी एलॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड	फैरो एलॉयज़

10 कि.मी. त्रिज्या के अंतर्गत विद्यमान प्रमुख उद्योगों की सूची निम्न प्रकार है।

ठी	m kxk॥ ds uke	çdkj
1.	मेसर्स श्री श्याम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	स्टील एवं पावर संयंत्र
2.	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	स्टील एवं पावर संयंत्र
3.	मेसर्स बी.एस० स्पंज प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
4.	मेसर्स श्री अंबिका स्पंज (प्रा०) लिमिटेड	स्टील संयंत्र
5.	मेसर्स सलासार स्पंज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड	स्टील एवं पावर संयंत्र
6.	मेसर्स सिंधल एनर्जी लिमिटेड	स्टील एवं पावर संयंत्र
7.	मेसर्स सिंधल एंटरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	स्टील एवं पावर संयंत्र
8.	मेसर्स स्कानिया स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	स्टील संयंत्र
9.	मेसर्स अंजनी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
10.	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर (प्रा०) लिमिटेड	स्टील संयंत्र
11.	मेसर्स माँ काली एलॉयज उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	स्टील संयंत्र
12.	मेसर्स नवदुर्गा फ्युल प्राइवेट लिमिटेड	स्टील एवं पावर संयंत्र
13.	मेसर्स एन.आर.व्ही.एस० स्टील्स लिमिटेड	स्टील संयंत्र
14.	मेसर्स एन.आर० प्राइवेट लिमिटेड	स्टील एवं पावर संयंत्र

एन. आर. टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 कि क्वि , 01 213 कि क्वि | DVj ¾ , Y
वक्ता ही ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

9.2 परियोजना का विन्यास, उत्पादन क्षमता :-

वर्तमान में प्रस्तावित इकाईयों का विन्यास तथा उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार है:

ठ-	bldkbz	fo eku i = ॥ pfkfyrl	çLrkfor foLrkj ॥Vu@o"kl	foLrkjksi jkr ॥Vu@o"kl
1.	इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. बिलेट्स/ इंगॉट्स/ मेटल)	हॉट 3X7 टन (56,700 टन/वर्ष)	विद्यमान इण्डक्शन फर्नेस में आधुनिकीकरण 3X7 टन से 3X12 टन (97,200 टन/वर्ष) एवं नवीन इण्डक्शन फर्नेस 2X12 टन (64,800 टन/वर्ष) कुल = 1,62,000 टन/वर्ष	विद्यमान इण्डक्शन फर्नेस में आधुनिकीकरण 3X7 टन से 3X12 टन (97,200 टन/वर्ष) एवं नवीन इण्डक्शन फर्नेस 2X12 टन (64,800 टन/वर्ष) कुल = 1,62,000 टन/वर्ष
2.	रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट्स)	55,000 टन/वर्ष	विद्यमान रोलिंग मिल में आधुनिकीकरण 55,000 टन/वर्ष से 1,57,500 टन/वर्ष (हॉट चार्जिंग द्वारा)	विद्यमान रोलिंग मिल में आधुनिकीकरण 55,000 टन/वर्ष से 1,57,500 टन/वर्ष (हॉट चार्जिंग द्वारा)

9.3 कच्चे पदार्थः -

प्रस्तावित विस्तार परियोजना में निम्न पदार्थों का उपयोग कच्चे माल के रूप में
किया जावेगा:-

ठी	dPps i nkFkz	Ekk=k	L=kj	i fj ogu ds k/ku
1-	इन्डक्शन फर्नेस हेतु (एम.एस. बिलेट्स/ इंगॉट्स/ हॉट मेटल)	- 1,62,000 टन/वर्ष		
ए.	संपज आयरन	1,35,000 टन/वर्ष	छ.ग. एवं उड़ीसा	सड़क परिवहन (ढँके हुए ट्रकों) द्वारा
बी.	स्क्रैप	58,000 टन/वर्ष	छ.ग. एवं उड़ीसा	सड़क परिवहन (ढँके हुए ट्रकों) द्वारा
सी.	फैरो एलॉयज़	2,430 टन/वर्ष	छ.ग. एवं उड़ीसा	सड़क परिवहन (ढँके हुए ट्रकों) द्वारा
2-	j kfym fey ॥ kYM ckMDVt ॥ & 1]57]500 Vu@o"kl			
ए.	हॉट बिलेट्स	1,62,0000 टन/वर्ष	स्व-उत्पादन

एन. आर. टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 कि क्विल , 01 213 कि क्विल | DVj ¾ , Y
वक्ता है ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

9.4 उत्पादन प्रक्रिया :-

इण्डक्शन फर्नेस द्वारा gkW eV@ , e- , I - fcym@ bmkWt dk mRi knu%
3x7 टन इण्डक्शन की स्थापना हेतु पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी
है, जिसके स्थान पर 3x12 टन इण्डक्शन की स्थापना करना प्रस्तावित है। कच्चे
माल जैसे: स्पंज आयरन, स्क्रैप एवं फैरो एलॉयज को स्टील मैल्टिंग शॉप में
गलाया जाता है जिससे शुद्ध तरल स्टील का उत्पादन होता है। स्टील मैल्टिंग
शॉप में इन्डक्शन फर्नेस, लैडल्स, क्रेन तथा कन्टिन्युअस कास्टिंग मशीन सम्मिलित
है। एल.आर.एफ. द्वारा प्रोड्यूज्ड हॉट मेटल को डायरेक्ट चार्जिंग के माध्यम से
सीधे रोलिंग मिल में अथवा हॉट मेटल को सी.सी.एम. में एम.एस. बिलेट्स/
इंगॉट्स का उत्पादन करने सीधे रोलिंग मिल में भेजा जाएगा।

3x12 टन एवं 2x12 टन इण्डक्शन द्वारा कुल 1,62,000 टन/वर्ष हॉट मेटल/
बिलेट्स का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।

j kfym fey }kj k j kYM i kMDVt dk mRi knu

विद्यमान एवं प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस उत्पादित हॉट मेटल को हॉट चार्जिंग
विधि के रूप में रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु सीधे रोलिंग मिल में भेजा जावेगा।
इस विधि के अलावा अगर किन्हीं परिस्थिति में बिलेट्स ठण्डे हो जायेगे तो उस
स्थिति में रोलिंग मिल में री-हीटिंग फर्नेस द्वारा बिलेट्स को पुनः गर्म कर रोल्ड
प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। री-हीटिंग फर्नेस में
एल.डी.ओ./एल.एस.एच.एस. का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाना प्रस्तावित
है।

9.5 जल की आवश्यकता:-

प्रस्तावित परियोजना हेतु अनुमानित जल की आवश्यकता 123 कि.ली./दिन है,
जिसकी आपूर्ति भू-जल स्रोत द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। केंद्रीय भू जल
प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त जल राशी के आहरण हेतु अनुमति ली गई है। वर्तमान

एन० आर० टी०एम०टी० (इंडिया) प्रा० लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 कि क्विल , 08 213 कि क्विल | DVj ¾ , Y
वक्ता ही ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

में संचालित इकाई हेतु जल की आवश्यकता 80 कि.ली./दिन है, इस हेतु भी केंद्रीय भू जल प्राधिकरण द्वारा अनुमति ली गई है। विस्तरोपरांत कुल जल की आवश्यकता 203 कि.ली./दिन होगी। प्रस्तावित परियोजना में जल खपत निम्नप्रकार है:-

जल की आवश्यकता

ठीं	bdkbl	vko' ; d ty dh Ekk=k lf dyks yhVj @fnuL	fo eku i f=	çLrkfor foLrkj	foLrkj ki jkr
		48	80	128	
1.	इण्डक्शन फर्नेस	25	40	65	
2.	रोलिंग मिल	7	3	10	
	घरेलु	80	123	203	
	dy				

9.६ दूषित जल उत्सर्जन:-

प्रस्तावित परियोजना में, प्रस्तावित ईकाई द्वारा उत्सर्जित औद्योगिक दूषित जल को सेटलिंग पॉण्ड में भेजा जायेगा जहाँ से उसे क्लोज्ड कूलिंग सर्किट द्वारा पुनर्चक्रित किया जाना प्रस्तावित है। स्क्रबर ब्लोडाउन को भी पुनर्चक्रित किया जावेगा। दूषित जल में ऑइल एवं ग्रीस तथा क्लीनिंग एजेंट के साथ मिलने की दशा में इसके उपचार हेतु ऑइल एवं ग्रीस ट्रैप्स का प्रावधान किया जावेगा। परियोजना विस्तार द्वारा घरेलु दूषित जल का उत्सर्जन 08 किली/प्रतिदिन होगा एवं इसका उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा किया जायेगा। उपचारित सीवेज का पुनरुत्पयोग वृक्षरोपण हेतु किया जावेगा।

9.७ दूषित जल की गुणवत्ता:-

अनुमानित निस्त्राव के गुणात्मक विश्लेषण का सारांश निम्नलिखित टेबल में प्रदर्शित है:

एन. आर. टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbz

211] 212 कि.वि.ल , 01 213 कि.वि.ल | द्वज ३/४ , य
वक्ता ही ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

rkfydk & nfrkr ty dh xqoRrk %&

fooj . k	vu&mi pkkfjr ?kjy nfrkr ty
पी.एच.	7.0 – 8.5
बी.ओ.डी. (मि.ग्रा./ ली)	200 – 250
सी.ओ.डी. (मि.ग्रा./ ली)	300 – 400
टी.डी.एस. (मि.ग्रा./ ली)	800 – 900

2-0 i ; kloj . k dk fooj . k%

प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या में सभी पर्यावरण कारकों जैसे परवेशीय वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, ध्वनी स्तर, पेड़–पौधे, जीव–जन्तु एवं समाजिक–आर्थिक स्थिति के आधार पर बेस लाइन डाटा बनाया गया।

2-1 परिवेशीय वायु गुणवत्ता %&

1 दिसंबर 2019 से 29 फरवरी 2020 तक 8 स्टेशनों पर पी.एम._{2.5}, पी.एम.₁₀, एस.ओ.₂, एन.ओ._x एवं सी.ओ. हेतु परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया। परवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के दौरान इन कारकों का मान इस प्रकार है:

Øekd	fooj . k	I kærk
1.	पी.एम. _{2.5}	: 27.3 से 49.8 माइक्रोग्राम/घन मीटर
2.	पी.एम. ₁₀	: 46.2 से 85.8 माइक्रोग्राम/घन मीटर
3.	एस.ओ. ₂	: 7.7 से 24.9 माइक्रोग्राम/घन मीटर
4.	एन.ओ. _x	: 7.9 से 33.6 माइक्रोग्राम/घन मीटर
5.	सी.ओ.	: 475 से 1571 माइक्रोग्राम/घन मीटर

2.2 जल गुणवत्ता:-

2-2-1 I rgh ty dh xqkoRrk%&

कुल 3 नमूने जमा किये गये। सतही जल के अँकलन हेतु केलो नदी (6.6 किमी) से 1 नमूने से लिये गये, कुरकेट नदी (7.0 किमी) से 1 नमूने से लिया गया एवं तुमीडीह तालाब (1.1 किमी) से 1 नमूने से लिया गया। विश्लेषण के परिणाम से ज्ञात होता है कि सभी नमूने बी.आई.एस.: 2296 के मानदण्डों के अनुरूप हैं।

एन० आर० टी०एम०टी० (इंडिया) प्रा० लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 कि.व्हि. , 01 213 कि.व्हि. | DVJ ¾ , Y
वक्ता ही ftney vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

2-2-2 Hkity dh xqkorrk%&

आसपास के गाँवों से 8 अलग अलग जगहों से कुँए तथा बोर से सैम्पल लिये गए तथा जिसके सारे भौतिक एवं रासायनिक गुणों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर सभी सैम्पल बी.आई.एस.: 10500 के मानदण्डों के अनुरूप पाए गये हैं।

२.३. ध्वनि स्तर:-

8 अलग अलग जगहों पर रात एवं दिन में ध्वनि स्तर का मापन किया गया। जिसका ध्वनि स्तर 43.95 डी.बी. (ए.) से 62.95 डी.बी. (ए.) पाया गया है।

3-0 i ; kbj . kh; cHkkokk dk vkydyu rFkk jksdFkke%

३.१ वायु गुणवत्ता पर प्रभावों का आंकलन :

प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित गैसेस् में मुख्यतः पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.₁₀), सल्फर डाय औक्साइड एवं औक्साईड्स् ऑफ नाइट्रोजन पाये जाते हैं। इण्डस्ट्रियल सोर्स कॉम्प्लैक्स मॉडल (आई.एस.सी.एस.टी.-3) का उपयोग, भूस्तर सांद्रता ज्ञात करने में किया गया। मैट्रियोलौजिकल डाटा जैसे तापमान, हवा के बहने की गति एवं दिशा एवं अन्य मैट्रियोलौजिकल पैरामिटर्स भी इकट्ठा किए गए जिनका उपयोग मॉडल से परिणाम ज्ञात करने में किया गया। संगणित परिणामों से ज्ञात होता है कि:-

- ✓ प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत भूस्तर पर पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.₁₀) की सांद्रता (24 घण्टे) में अधिकतम वृद्धि 0.42 माइक्रोग्राम/घन मीटर हवा बहने कि दिशा में प्रस्तावित परियोजना की चिमनियों से 500 मीटर पर पाई जावेगी।
- ✓ वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए पी.एम.₁₀ की सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 0.20 माइक्रोग्राम/घन मीटर होने की संभावना है।

एन० आर० टी०एम०टी० (इंडिया) प्रा० लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 कि क्विल , 01 213 कि क्विल | DVj ¾ , Y
वक्ता ही ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

- ✓ प्रस्तावित परियोजना द्वारा एस०ओ०₂ की सांद्रता (24 घण्टे) में अधिकतम वृद्धि 4.36 माइक्रोग्राम/घन मीटर हवा बहने कि दिशा में प्रस्तावित चिमनी से 500 मीटर पर पाई जावेगी।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना द्वारा एन०ओ०_X की सांद्रता (24 घण्टे) में अधिकतम वृद्धि 2.71 माइक्रोग्राम/घन मीटर हवा बहने कि दिशा में प्रस्तावित चिमनी से 500 मीटर पर पाई जावेगी।
- ✓ एन०ओ०_X में वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 1.69 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।
- ✓ वाहनों द्वारा उत्सर्जित सी.ओ. की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 1.0 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

जब विस्तार परियोजना द्वारा संचालन आरंभ किया जायेगा तब पी०एम०₁₀, एन०ओ०_X एवं सी०ओ० की (अधिकतम आधारभूत सांद्रता + सांद्रता में अनुमानित वृद्धि) का शुद्ध परिणाम सांद्रता जो नीचे तालिका में उस क्षेत्र के अन्य उद्योगों से उत्सर्जन पर विचारोपरांत दर्शाया गया है कि निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों से कम होगा।

çLrkfor i fj ; kstuk ds dkj .k gq vf/kdre l kerk ds 'kq i fj .kqe çLrkfor

en	पी०एम० ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	एस०ओ० ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	एन०ओ० _X ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	सी०ओ० ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
अध्ययन क्षेत्र में अधिकतम वास्तविक सांद्रता	85.8	24.9	33.6	1571
प्रस्तावित परियोजना के संचालन के दौरान सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	0.42	4.36	2.71	निरंक
प्रस्तावित परियोजना के वाहनों के संचालन स्वरूप सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	0.20	निरंक	1.69	1.00
प्रस्तावित परियोजना विस्तार के संचालन के दौरान सांद्रता के शुद्ध परिणाम	86.42	29.26	38.00	1572
ज्ञक्विली विवेशी वायु गुणवत्ता के मानक	100	80	80	2000

एन. आर. टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 ॥i KV॥ , ॥ 213 ॥i KV॥ | DVj ॥ , y
vkn̄i h̄i ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

प्रस्तावित परियोजना के आरंभ के पश्चात् अनुमानित परिणाम के अनुसार पी.एम.¹⁰, एस.ओ₂, एवं एन.ओ.ए सांद्रता के शुद्ध परिणाम (अधिकतम आधारभूत सांद्रता + अधिकतम सांद्रता में वृद्धिशील बढ़ोतरी) राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मानक से कम है। अतः प्रस्तावित परियोजना से वायु गुणवत्ता पर कोई नकरात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

३.२ ध्वनि स्तर के कारण प्रभावों का आँकलन:-

प्रस्तावित परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत फर्नेस तथा डी.जी. सैट इत्यादि होंगे। डी.जी. सैट को साईलेंसर प्रदान किया जायेगा। परवेशीय ध्वनि स्तर पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय कि अधिसूचना के मानदण्डों के अनुरूप है यानी दिन में 75 डी.बी. (ए.) एवं रात में 70 डी.बी. (ए.) से कम होगी। प्रस्तावित संयंत्र स्थल लगभग 3.5 एकड़ भूमि जो कुल भूमि के एक—तिहाई भाग से भी अधिक है, पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है जिससे ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों में कमी आएगी और आसपास के क्षेत्रों में ध्वनि प्रभाव न्यूनतम रहेगा। अतः प्रस्तावित परियोजना विस्तार द्वारा ध्वनि से आसपास की जनसंख्या पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

३.३ जल पर्यावरण पर प्रभाव:-

प्रस्तावित परियोजना में, प्रस्तावित ईकाई द्वारा उत्सर्जित औद्योगिक दूषित जल को सेटलिंग पॉण्ड में भेजा जायेगा जहाँ से उसे क्लोज्ड कूलिंग सर्किट द्वारा पुनर्चक्रित किया जाना प्रस्तावित है। स्क्रबर ब्लोडाउन को भी पुनर्चक्रित किया जावेगा। दूषित जल में ऑइल एवं ग्रीस तथा क्लीनिंग एजेंट के साथ मिलने की दशा में इसके उपचार हेतु ऑइल एवं ग्रीस ट्रैप्स का प्रावधान किया जावेगा। परियोजना विस्तार द्वारा घरेलु दूषित जल का उत्सर्जन 08 किली/प्रतिदिन होगा

एन. आर. टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 कि क्विल , 01 213 कि क्विल | DVJ ¾ , Y
वक्ता है ftny वक्ता kfxd i kd]

पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

एवं इसका उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा किया जायेगा। उपचारित सीवेज का पुर्णउपयोग वृक्षरोपण हेतु किया जावेगा।

३.४ भू-पर्यावरण पर प्रभाव:-

शून्य निस्सारण संकल्प का पालन किया जावेगा। सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि की सही—सही स्थापना एवं संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जावेगा। ठोस अपशिष्टों का निपटान/ उपयोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुसार किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित संयंत्र स्थल लगभग 3.5 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षरोपण का प्रस्ताव है। अतः प्रस्तावित क्षमता विस्तार के कारण भू—पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

३.५ जैविक पर्यावरण पर प्रभाव :-

- संयंत्र स्थल से 10 किमी की त्रिज्या में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं पक्षी अभ्यारण्य नहीं हैं। यह क्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है। इस हेतु संरक्षण योजना बनाई गई है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु रु 40.0 लाख का प्रावधान किया गया है।
- तराईमल आरक्षित वन (0.3 कि.मी.), समारूमा आरक्षित वन (3.5 कि.मी.), सुहाई आरक्षित वन (5.8 कि.मी.), राबो आरक्षित वन (6.4 कि.मी.), उरदाना आरक्षित वन (6.0 कि.मी.), पुँजीपथरा संरक्षित वन (0.7 कि.मी.), पझर आरक्षित वन (4.5 कि.मी.), आमघाट आरक्षित वन (5.3 कि.मी.) एवं खड़ीडुँगरी संरक्षित वन (9.0 कि.मी.), संयंत्र क्षेत्र से 10 किमी त्रिज्या के अंतर्गत विद्यमान हैं।
- विस्तार परियोजना में सभी आवश्यक वायु उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना एवं संचालन का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/

एन० आर० टी०एम०टी० (इंडिया) प्रा० लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 vi KVl, o 213 vi KVl | DVj ¾ , y
vkn̄ hñ ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण मंडल/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डों के अनुसार पालन किया जायेगा।

- विद्यमान संयंत्र में शून्य निस्त्राव संकल्प का परिपालन किया जा रहा है एवं विस्तारोपरांत भी जारी रहेगा।
- समस्त ठोस अपशिष्टों का निपटान मानदण्डों के अनुसार ही किया जायेगा।
- 3.5 एकड़ की सघन हरित-पट्टिका का संयंत्र परिसर में किया जायेगा।

जब उचित कार्यान्वयन के साथ पर्यावरण प्रबंधन योजना के सभी मानदण्डों का अनुपालन किया जाता है, तो प्रस्तावित विस्तार से वनस्पति एवं जीव पर किसी प्रकार के विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

३.५ सामाजिक - आर्थिक प्रभाव:-

निर्माण एवं संचालन द्वारा स्थानीय जनता के लिए विभिन्न रोजगार के अवसर बनेंगे। उस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी। अतः प्रस्तावित विस्तार परियोजना के द्वारा क्षेत्र का आगामी विकास होगा।

4-0 i ; kbj . k vufo{.k. k dk; Øe%

परियोजना-उपरांत केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार अनुवीक्षण कार्यक्रम का अनुपालन प्रस्तवति है, जो कि निम्न प्रकार है:

i ; kbj . kh; i § kehVj ds fy, fuxjkuh dk; Øe

Ø-	fooj . k	अनुवीक्षण आवृत्ति	ueus yus fd vof/k	i § kehVj
1- ty rFkk ful=ko fd x;kjkoRrk				
a.	जल गुणवत्ता	3 माह में एक बार	समग्र नमूनाकरण (24 घण्टे)	आई एस : 10500
b.	ई.टी.पी. के आउटलेट पर प्रभाव	माह में 1 बार	ग्रेब नमूने (24 घण्टे)	ई.पी.ए. नियम 1996

एन. आर. टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbz

211] 212 VI KVII , 01 213 VI KVII | DVj ¾ , Y
Vkn̄ hñ ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

Ø	fooj .k	अनुकूलता आवृत्ति	ueus yus fd vof/k	i j kehVj
C.	घरेलू दूषित जल	माह में 2 बार	ग्रेब नमूने (24 घण्टे)	ई.पी.ए. नियम 1996
2- ok; q xq oRrk				
a.	स्टैक	ऑन-लाइन (डब्ल्यू.एच.आर.बी. एवं एफ.बी. सी. बॉयलर स्टैक) माह में 1 बार	-	पी.एम. पी.एम., एस.ओ ₂ , एन.ओ. x
b.	परवेशीय वायु गुणवत्ता (CAAQMS)	माह में 1 बार	माह में 1 बार	पी.एम. ₁₀ , पी.एम. _{2.5} , एस. ओ ₂ , एन.ओ. x
c.	प्रयुजिटिव उत्सर्जन	3 माह में एक बार	8 घण्टे में एकबार	पी.एम.
3- e⁹ fe; dkjd				
a.	मौसमिय डाटा	दैनिक	लगातार	तापमान, आद्रता, वर्षा, वायु की गति एवं दिशा
4- 'kkj eki u				
a.	शोर मापन	वर्ष में 2 बार	1 घण्टे के अंतराल के साथ 24 घण्टे लगातार	ध्वनि स्तर

5-0 VI; V/; U%

किसी भी पुनर्वास एवं पुनःस्थापन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संयंत्र ओ.पी.
जिंदल औद्योगिक पार्क में स्थित है।

6-0 i f; kst uk ds ykhk %

प्रस्तावित परियोजना के कारण नए रोजगार के अवसर बनेंगे, साथ ही स्थानीय
परिसम्पत्तियों का मूल्य बढ़ेगा जिसके कारण आसपास के निवासियों को लाभ
होगा। प्रस्तावित संयंत्र में कर्मचारियों के नियोजन हेतु स्थानीय लोगों को
प्राथमिकता दी जावेगी। सी.ई.आर. हेतु अलग से बजट का आबंटन किया जायेगा
जिसका कार्यान्वयन समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जायेगा।

7-0 i ; kboj .k cclku ds mi k; %

७.१ वायु पर्यावरण:

प्रस्तावित परियोजना में वायु प्रदूषण कि रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये जाना
प्रस्तावित है।

एन. आर. टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 कि KV॥ , 01 213 कि KV॥ | DVj ¾ , Y
vkn̄ h̄ ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

ठीं	I yXu fpeuh	I a[; k	fu; =.k mi dj .k	vkAVyV i j i kfVD; gyj bfe' ku
1.	विमान इण्डक्शन फर्नेस में उन्नयन (3x7 टन से 3x12 टन)	01	बैग फिल्टर युक्त फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम का आधुनिकीकरण	<30 मिग्रा / सामान्य घन मीटर
2.	प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस (2x12 टन)	01	बैग फिल्टर युक्त फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम	<30 मिग्रा / सामान्य घन मीटर
3.	हॉट चार्ज रोलिंग मिल	01	----

1. फ्यूजिटिव डस्ट की रोकथाम हेतु सभी कन्वेयर जी.आई. शीट से पर्णतः ढँके होंगे।
2. डस्ट उत्सर्जन के रोकथाम हेतु सभी बिन्स पूर्णतः ढँके होंगे ताकि धूल के रिसाव का कोई अवसर न बने।
3. सभी प्रवेश एवं निर्वहन द्वारा जहाँ डस्ट उत्सर्जन की सम्भावना है धूल एकत्रित करने हेतु एक डी-डस्टिंग संक्षण पॉइंट उपलब्ध कराया जायेगा।

७.२ जल पर्यावरण:-

प्रस्तावित परियोजना में, प्रस्तावित ईकाई द्वारा उत्सर्जित औद्योगिक दूषित जल को सेटलिंग पॉण्ड में भेजा जायेगा जहाँ से उसे क्लोज्ड कूलिंग सर्किट द्वारा पुनर्चक्रित किया जाना प्रस्तावित है। स्क्रबर ब्लोडाउन को भी पुनर्चक्रित किया जावेगा। दूषित जल में ऑइल एवं ग्रीस तथा क्लीनिंग एजेंट के साथ मिलने की दशा में इसके उपचार हेतु ऑइल एवं ग्रीस ट्रैप्स का प्रावधान किया जावेगा। परियोजना विस्तार द्वारा घरेलु दूषित जल का उत्सर्जन 08 किली/प्रतिदिन होगा एवं इसका उपचार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा किया जायेगा। उपचारित सीवेज का पुर्नउपयोग वृक्षरोपण हेतु किया जावेगा।

७.३ ध्वनि पर्यावरण:-

प्रस्तावित परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत फर्नेस तथा डी.जी. सैट इत्यादि होंगे। डी.जी. सैट को साईलेंसर प्रदान किया जायेगा। परवेशीय ध्वनि

एन. आर. टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbl

211] 212 ॥i KV॥ , ॥ 213 ॥i KV॥ | DVj ॥ , y
vkn̄i h̄i ftney vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

स्तर पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय के मानदण्डों के अनुरूप है यानी दिन में 75 डी.बी. (ए.) एवं रात में 70 डी.बी. (ए.) से कम होगी। प्रस्तावित संयंत्र स्थल लगभग 3.5 एकड़ भूमि जो कुल भूमि के एक—तिहाई भाग से भी अधिक है, पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है जिससे ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों में कमी आएगी और आसपास के क्षेत्रों में ध्वनि प्रभाव न्यूनतम रहेगा। अतः प्रस्तावित परियोजना विस्तार द्वारा ध्वनि से आसपास की जनसंख्या पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

७.४ भू पर्यावरण:-

विस्तार परियोजना द्वारा किसी प्रकार का प्रवाह का रिसाव नहीं होता क्योंकि क्लोज्ड कूलिंग सिस्टम को अपनाया गया है। घरेलु दूषित जल का उपचार ट्रैन्च में किया जायगा।

समस्त ठोस अपशिष्टों का निपटान मानदण्डों के अनुसार होगा। संयंत्र परिसर में लगभग 3.5 एकड़ भूमि पर सघन हरित—पट्टिका का विकास किया जायेगा। अतः प्रस्तावित विस्तार परियोजना से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ठोस अपशिष्टों का उत्पादन एवं अपवहन व्यवस्था

ठोस अपशिष्टों के उत्सर्जन एवं अपवहन की प्रस्तावित विधि निम्नलिखित होगी :

Øñ	Bkđ vif' k"V	fo eku i = s \\Vu@fnu\h	çLrkfor {kerk foLrkj s \\Vu@fnu\h	{kerk foLrkj ki jkr \\Vu@fnu\h	ví ogu 0; oLFkk
, ñ	इण्डक्शन फर्नेस }kj k%				
1.	स्लैग	21	56	77	स्टील मेल्टिंग शॉप द्वारा उत्पन्न स्लैग को क्रश किया जायेगा एवं आयरन को रिकवर किया जावेगा। शेष नॉन—मैग्नेटिक मटेरियल जो प्रकृति द्वारा निष्क्रिय है का का उपयोग सब—बेस मटेरियल के रूप में सड़क निर्माण / ईंट निर्माणकों को दिया जावेगा / औद्योगिक पार्क

एन. आर. टी.एम.टी. (इंडिया) प्रा. लिमिटेड

LVhy mRi knu bdkbz

211] 212 कि क्विल , 01 213 कि क्विल | DVJ ¾ , Y
वक्ता ही ftny vks| kfxd i kd]

पर्यावरणीय सम्बात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

Øñ	Bkñ vif' k"V	fo eku ñ = s /Vu@fnu/	çLrkfor {kerk foLrkj s /Vu@fnu/	{kerk foLrkj kñ j kñ /Vu@fnu/	ví ogu 0; oLFkk
Chñ	jkfyx fey				
2.	मिल स्केल	1.5	2.5	4.0	ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क में निकरथ फैरो एलॉयज़ निर्माण ईकाईयों एवं कास्टिंग ईकाईयों को दिया जावेगा।
3.	एण्ड कटिंग	4.0	7.0	11.0	पुनर्नवीनीकरण कर स्वयं के इण्डक्शन फर्नेस ईकाई में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जावेगा।
4.	एस.टी.पी. स्लज	...	0.2	0.2	वृक्षारोपण में खाद के रूप किया जाना प्रस्तावित है।

७.५ ग्रीन बेल्ट :

विद्यमान संयंत्र परिसर में लगभग 3.5 एकड़ भूमि जो कुल भूमि के एक—तिहाई भाग से भी अधिक है, पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है। जिसमे विद्यमान हरित पट्टिका सम्मिलित है।

७.६ पर्यावरण संरक्षण की लागत :-

पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुमानित पूँजी लागत = रु 2.80 करोड़ है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुमानित आवर्ती लागत = रु 31.70 लाख है।
